

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 24/ अप्रैल, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 63 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 63 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 3726.21 लाख (₹ सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 63 कार्यों हेतु ₹ 6.30 लाख (₹ छः लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/11.1(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वायर्समेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, गूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीरिशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृद्धत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित नियतन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

7

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष आलू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मं. में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त सगड़ी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो गिरावृत्त की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 36/XXVII(2)/2015 दि०- 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:- 2724 / 11(2)/15-05(गु०गु०चो०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, मढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा/से.
(ए०एस०-पौंगती)
उप सचिव

8

-6-

शासनादेश संख्या- २०१५/१११(२)/१५-०५(मोमोधो)/२०१५ दिनांक २१ अप्रैल, २०१५ का संलग्नक

33	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 1080/2014 के अन्तर्गत जनपद धमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग में ग्लाड-डिडोली-रिखोली-पारकोली-किगोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	103.95	0.10
34	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 66/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के ग्राम बरा में कालाधार तक लिक मोटर मार्ग से जोड़ने का कार्य।	5.00	83.25	0.10
35	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 59/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला में बमनगांव तक सड़क का निर्माण कार्य।	2.00	18.18	0.10
36	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 67/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला में कारगिल गंहीद लारा नायक के.एन.द्विवेदी के गांव बमनगांव (भांजाकोट) में रिंग रोड का निर्माण।	2.00	18.18	0.10
37	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 73/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला में महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू के गांव पुरदभ तक 5.00 कि.मी. सड़क का निर्माण कार्य।	5.00	83.25	0.10
38	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 39/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला में खुन्ती से कटौजिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.46	0.10
39	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 63/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- धारचूला के अन्तर्गत राजि जनजाती को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के अन्तर्गत किमखाला से गैनागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	52.38	0.10
40	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 51/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट पर्यापौड़ी मोटर मार्ग के कि.मी. 7 रोझांड से पन्त गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	34.92	0.10
41	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 571/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र-धारचूला में सोसा-सिर्दांग-संगलिंग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	9.00	52.65	0.10
42	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 572/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र- धारचूला में तवाघाट मोटर मार्ग में एन०एच०पी०सी० डैम से गोथाईधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	11.70	0.10
43	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 578/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र- धारचूला में सोबला-तेजम मोटर मार्ग का निर्माण।	6.00	35.10	0.10
44	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 51/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र- धारचूला में बलुवाकोट-बरम मोटर मार्ग के कि.मी० 7.00 रोझांड से पन्तगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	17.55	0.10